



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06042023-244967
CG-DL-W-06042023-244967

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13] नई दिल्ली, मार्च 26—अप्रैल 1, 2023, शनिवार/चैत्र 5,—चैत्र 11, 1945
No. 13] NEW DELHI, MARCH 26—APRIL 1, 2023, SATURDAY/CHAITRA 5,—CHAITRA 11, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2023

का. आ. 333.—केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एनटीपीसी लिमिटेड के कोयला खनन मुख्यालय, गिन्नी प्लाजा, चुटिया, रांची (झारखंड)- 834001, जिसके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 11011/01/9/2023-हिंदी]

जितेश जॉन, आर्थिक सलाहकार (प्रभारी रा.भा.)

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 16th March, 2023

S.O. 333.—In pursuance of Sub Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notify the Coal Mining Headquarters, Ginni Plaza, Chutia, Ranchi (Jharkhand)- 834001 of NTPC Limited under the administrative control of Ministry of Power, where 80% of the staff have acquired working knowledge of Hindi.

[F. No. 11011/01/9/2023-hindi]

JITHESH JOHN, Economic Advisor (In-charge O.L.)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2023

का.आ. 334.—केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में तारीख 05 फरवरी, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.547(अ) तारीख 02 फरवरी, 2021 में निम्नलिखित रूप से संशोधन करती है अर्थात्.

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के स्तम्भ 1 में “वी. राजशेकरन, उप कलेक्टर, तमिलनाडु सरकार, को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को तमिलनाडु राज्य में उक्त अधिनियम के प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी” शब्द के स्थान पर “रेविन्यु डिवीजनल अधिकारी, कृष्णागिरी को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बरगुर तालुक, कृष्णागिरी जिला, तमिलनाडु राज्य में उक्त अधिनियम के अधीन प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी” के रूप में प्राधिकृत करती है।

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी ।

[फा.सं.आर-11025(15)/4/2018-ओआर-1/ई-25410]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 22nd March, 2023

S.O. 334.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.O.547(E) dated 02-02-2021, published in Gazette of India on 05-02-2021 namely:-

In the said notification, in the schedule in column 1, for the words “V. Rajasekaran, Deputy Collector, Government of Tamil Nadu as officer on deputation to Hindustan Petroleum Corporation Limited to perform the functions of Competent Authority for VDPL Project under the said Act within the territory of state of Tamil Nadu” the words “Revenue Divisional Officer, Krishnagiri, as officer on deputation to Hindustan Petroleum Corporation Limited on permanent additional charge basis, to

perform the functions of Competent Authority for Vijayawada-Dharmapuri Pipeline under the said Act in Bargur taluk, Krishnagiri district, Tamil Nadu” shall be substituted.

This notification will be effective from the date of Issue.

[F.No. R-11025(15)/4/2018-OR-I/E/25410]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.